न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर (राज०)

पीठासीन अधिकारी - जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रार्थना-पत्र मुकदमा नम्बर :- सिविल 660 / 2023

तारीख दायर :- 05.12.2023

रामानन्द पुत्र मोहन लाल जाति जाट निवासी खीचड़ों का बास, तहसील व जिला सीकर

—प्रार्थी—

बनाम

बजरंग लाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी खीचड़ों का बास तहसील व जिला सीकर

—अप्रार्थी—

आवेदन अन्तर्गत आर्डर 9 नियम 9 सीपीसी

उपस्थित :-

अधिवक्ता प्रार्थी:— श्री भागीरथ मल जाखड़

अधिवक्ता अप्रार्थी:— श्री महेश कुमार जांगिड़

—: आदेश :—

दिनांक : 07.06.2024

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता आवेदन पेश किया गया जिसका संक्षेप में विवरण है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 529 रकवा 2.14 हैक्ट वाके ग्राम देवीपुरा तहसील व जिला सीकर के बावत् एक दावा मुकदमा नम्बर 57 / 2014 वउनवानी रामानन्द बनाम बजरंग उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय हाजा में पेश किया गया था। उक्त दावे के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी कमाने—खाने के लिए बाहर चला गया तथा कोरोना के कारण वापस नहीं आ सका तथा इसी दरमियान वकील प्रार्थी आवश्यक कार्य होने के कारण बाहर चले गये व दिनांक 20.02.2020 को प्रार्थी स्वयं एवं अधिवक्ता वादी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो सके इस कारण से प्रार्थी का दावा अमद हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। दावा खारिज करने की इतला वकील वादी ने प्रार्थी को नहीं दी। प्रार्थी दिनांक 28.10.2023 को अपने वकील से उक्त दावे के बारे मे पूछताछ की तो अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दावा दिनांक 20.02.2020 को अदम हाजरी अमद पैरवी में खारिज होना बताया गया। उक्त प्रार्थना—पत्र वाद मुकदमा नम्बर 57 / 2014 को पुनः नम्बर पर लेने हेतु पेश किया जा रहा है।

दिनांक 20.02.2020 को वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं की अनुपस्थिति जानबूझकर न होकर मजबूरी में हुई थी। यदि वाद को पुनः नम्बर पर नहीं लिया जाता है तो प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

की सख्त हक लतफी होगी। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेश कुमार जांगिड हाजिर। अप्रार्थी द्वारा जवाब आवेदन पेश किया गया व आवेदन के तथ्यों का खण्डन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में अंकित किया गया कि वादी/प्रार्थी सीकर शहर से बाहर कभी भी कमाने नहीं गया। दावा दायरी से लेकर आज तक ग्राम देवीपुरा स्थित विवादित आराजी में निवास कर आदर्श बाल विद्या मंदिर स्कूल, सीकर में बतौर प्रबंधक व अध्यापन का कार्य किया है इस प्रकार आवेदन में वर्णित बाहर कमाने खाने का झुंठा अवलम्बन लेकर मियाद बाहर आवेदन प्रस्तुत किया है। वाद खारिज होने से पूर्व पक्षकारों के बीच आपसी सहमति व स्वीकृति से राजीनामा हो गया था व राजीनामे को 100 रूपये के स्टाम्प पर लिपिबद्ध करवा कर सभी पक्षकारों ने अपने हस्ताक्षर कर दिये थें। तत्पश्चात कोई विवाद शेष नहीं रहने पर दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खाजिर करवा लिया। कालान्तर में नगर परिषद, सीकर द्वारा भूमि खसरा नम्बर 529 की 90ए की कार्यवाही कर खातेदारी वादिया आवेदन व प्रतिवादीगण की समाप्त कर नगर परिषद, सीकर की खातेदारी में दर्ज कर ली गई है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराया तथा आवेदन को स्वीकार कर दावा मुकदमा नम्बर 57/2014 को पुनः नम्बर पर लेने के सम्बन्ध में निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान जवाब आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया व आवेदन को खारिज किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान विवादित भूमि खसरा नम्बर 529 वाके ग्राम देवीपुरा की सम्वत 2075–2078 की जमाबंदी पेश की जो वर्तमान में नगर परिषद सीकर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिस पर सुनवाई करने का अधिकार न्यायालय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 07.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)